आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

09.9.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 17/2019–20

परवतीया वीवी प्रति बसारत हुसैन

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 392R27/2018–2019 में दिनांक 09.11.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से अभिलेख प्राप्त है।

प्रत्यर्थी विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 यह अपील वाद अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया जा रहा है जो ग्राम अरसली थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा के पुराना खाता सं0 195 पुराना प्लॉट सं0 2314 नया खाता सं0 745 नया प्लॉट सं0 682 रकबा 0.5 डीसमील भूमि पर है।

02 वास्तविक्ता यह है कि प्रश्नगत् भूमि सतार मियां की भूमि थी जो अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को निबंधित केवाला संख्या 862 दिनांक 06.04.1995 से बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिए अपीलार्थी उक्त भूमि के दखल कब्जे में आयी एवं नामांतरण हेतु आवेदन की लेकिन इसी बीच प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी की खरीदी भूमि का केवाला सतार मियां के पुत्र से करा लिए जबकि सतार मियां अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को अपीलार्थी से बिक्री कर दिए है उनके पुत्र को अपने पिता के द्वारा बिक्री की गई का केवाला करने का अधिकार नही था लेकिन इसी गलत केवाला के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामांतरण न कर प्रत्यर्थी के मेल में आकर गलत तरीके से नामांतरण कर दिए है।

03 अंचल अधिकारी, भवनाथपुर ने पिता के द्वारा बिक्री गये भूमि का नामांतरण न कर पुत्र के द्वारा इसी बिक्री की गई भूमि का नामांतरण कर दिया गया जो गलत है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 392R27/2018–2019 में दिनांक 09.11.2019 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के नाम नामांतरण करने हेतु अंचल अधिकारी, भवनाथपुर को आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 केवाला की छायाप्रति .... 7 फर्द

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	02 हाल सर्वे के खतियान की छायाप्रति .... 1 फर्द 03 बंडा पर्चा की छायाप्रति .... 1 फर्द प्रत्यर्थी विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र, अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि अपीलार्थी ने निबंधित दानपत्र (बक्शीशनामा) सं0 862 दिनांक 06.04.1995 से दानकर्त्ता सतार मियां पिता अर्जुन मियां मरहुम से आवेदित भूमि मौजा अरसली के पुराना खाता सं0 195 प्लॉट सं0 2314 रकबा 0.10 एकड़ भूमि एवं अन्य प्लॉट के साथ कुल रकबा 46डीसमील भूमि दान पत्र से प्राप्त किये है। अंचल अधिकारी भवनाथपुर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नामांतरण वाद सं0 392R27/2018–2019 से नया खाता सं0 745, 745, 764 नया प्लॉट सं0 6595, 6828, 5946 क्रमशः रकबा 11.25 डीसमील, 5 डीसमील, 12.50 डीसमील कुल रकबा 28.75डीसमील भूमि का नामांतरण होकर ऑनलाईन मांगपंजी II पर के पृष्ट सं0 2 भाग सं0 3 पर संधारित है। स्पष्ट है कि वर्तमान में दाखिल खारिज की प्रक्रिया हाल सर्वे के नया खाता संख्या एवं नया प्लॉट संख्या के अनुसार किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र में नया खाता सं0 745 नया प्लॉट सं0 682 रकबा 0.5 डीसमील भूमि पर अपील वाद दायर किया किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के द्वारा नामांतरण वाद सं0 392R27/2018–2019 में दिनांक 09.11.2019 को पारित आदेश में नया प्लॉट सं0 682 अंकित नहीं है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के नामांतरण वाद सं0 392R27/2018–2019 में दिनांक 09.11.2019 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, भवनाथपुर को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.04.12 15:00:59 +05:30
Location: 192.168.1.46

Scanned with CamScanner